ई–टैण्डर फार्म

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण,उत्तराखण्ड, उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत (अल्मोड़ा)

☎ 05966–220260,222792 📠 05966–221074

कोरोगेटेड बॉक्स की आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र टैक्नीकल बिड (भाग–1)

क0 सं0	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नही
1.	**फर्म का नाम व पताः–**	
2.	टैण्डर फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण–	
	ड्राफ्ट संख्या.......................... दिनांक.......................... धनराशि.....................	
3.	अर्नेष्टमनी का विवरण–	
	ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 संख्या.....................दिनांक.................. धनराशि...................	
4.	कोरोगेटेड बॉक्स उत्पादन करने का पंजीकरण प्रमाण पत्र।	
5.	न्यूनतम 1.00 करोड टर्न ओवर का प्रमाण पत्र / अन्तिम अकाउटिंग वर्ष के आडिटिंड लेखों की प्रति सहित।	
6.	फर्म का टिन नम्बर का प्रमाण पत्र।	
7.	फर्म का पैन नम्बर का प्रमाण पत्र।	
8.	व्यापार कर / वेट तथा सैन्ट्रल सेल्स टैक्स / पंजीकरण प्रमाण पत्र।	
9.	फर्म / संस्था द्वारा टैण्डर डालने हेतु अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र।	
10.	फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद / विधिक कार्यवाही / अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है ? या नहीं, की दशा में शपथ पत्र रू0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र।	

नोट– उपरोक्त सभी कॉलम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होगें तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कॉलम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त टैण्डर की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तों पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता / प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर–

निविदादाता / प्राधिकर्ता निविदादाता का नाम–

फर्म का नाम / पता–

फोन / फैक्स नं0– ई–मेलः

सील

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया,रानीखेत(अल्मोड़ा)
05966–220260,222792 05966–221074

ई–टेन्डर द्वारा कोरोगेटेड बॉक्स क्रय करने की शर्ते

महामहिम श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत(अल्मोड़ा) द्वारा वर्ष 2016–17 में लगभग 70 हजार कोरोगेटेड बॉक्स की आपूर्ति हेतु मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों या उनके द्वारा अधिकृत विकेताओं से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा एवं आपूर्ति की शर्तें निम्नानुसार है:–

अ) ई–निविदा की शर्तें–

1– ई–निविदा में सम्मिलित होने के लिए फर्म के पास डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (डी0एस0सी0) होना अनिवार्य है, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बनाया जा सकता है।

2– आवेदनकर्ता फर्मों/कम्पनियों द्वारा ऑनलाइन Submit की गई ई–निविदा की प्रति निविदा से संबंधित मॉगे गये समस्त वाछित अभिलेखों की मूल प्रति सहित व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा) में निर्धारित समयान्तर्गत प्रस्तुत करनी होगी। डाक द्वारा भेजे गये प्रपत्रों के समय पर इस कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

3– टेण्डर डाक्यूमेन्ट का मूल्य रू0 200.00 निर्धारित किया गया है। निविदायें दो भागों में स्वीकार की जायेगी जिसमे प्रथम प्रपत्र (भाग–1) में तकनीकी तथा दूसरे प्रपत्र (भाग–2) में वित्तीय बिड होगी। दोनों निविदा प्रपत्रों को निर्धारित वेबसाइट पर निविदादाता द्वारा अपलोड किया जायेगा।

4– निविदा प्रपत्र को www.uktenders.gov.in से डाउनलोड की जायेगी। वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 200.00 का राष्ट्रीयकृत बैक का ड्राफ्ट जो रानीखेत (अल्मोड़ा) की शाखा में देय हो, और निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड, उद्यान भवन, चौबटिया, के नाम तैयार किया गया हो संलग्न करना होगा। रानीखेत (अल्मोड़ा) से बाहर की शाखाओं में देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नही किये जायेगे, को दिनांक 06.01.2017 अपरान्ह 5.00 बजे तक मूल रूप में व्यक्तिगत/डाक द्वारा निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5– ई–निविदा में प्रतिभाग करने पर दूरसंचार एवं निविदा की वेबसाइट पर तकनीकी खराबी आदि से फर्म को होने वाली कठिनाई हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

6– तकनीकी प्रपत्रों की ई–निविदा दिनांक 07.01.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। समिति की जॉच/संस्तुति उपरान्त तकनीकी रूप में सफल निविदाओं को स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोले जाने हेतु पृथक से तिथि निर्धारित की जायेगी, जिसकी सूचना वेबसाईट एवं ई–मेल के माध्यम से निविदादाताओं को उपलब्ध करा दी जायेगी।

क्रमशः–2

7– अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय पर तकनीकी निविदा नही खोले जाने की स्थिति में तकनीकी बिड खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस माना जायेगा।

8– निविदा में भाग लेने वाली मूल उत्पादक कम्पनियों का टर्न ओवर वर्ष (2015–16) का रू0 1.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसका सी0ए0 से प्रमाणित प्रमाण पत्र गम वर्ष आडिटेड लेखो की प्रतिया सहित संलग्न करना होगा।

9– निविदा के साथ कारोगेटेड बॉक्स की अर्नेष्टमनी कुल लागत का 03 प्रतिशत अनुमानित रू0 65,000.00 (रू0 पैंसठ हजार मात्र)का जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 धरोहर धनराशि के रूप में, जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (उत्तराखण्ड) उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत के नाम बंधक हो की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ इसकी **मूल प्रति दिनांक 06.01.2017 को 05:00 बजे तक व्यक्तिगत/पंजीकृत डाक द्वारा निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन चौबटिया में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।** अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी, अर्नेष्टमनी पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 रानीखेत(अल्मोड़ा) की शाखा में देय होना चाहिए रानीखेत(अल्मोड़ा) से बाहर की शाखाओं में देय होने पर अर्नेष्टमनी की धनराशि स्वीकार नही की जायेगी। बिना अर्नेष्टमनी(धरोहर राशि) के किसी भी निविदा पर विचार किया जाना संभव नही होगा। उन निविदादाता फर्मों, जिनकी दरे स्वीकृत नही होगी, यह राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी। सफल टैण्डरदाताओं की अर्नेष्टमनी(धरोहर राशि) जमानत के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।

10– तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग–1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियॉ पठनीय होनी नितान्त आवश्यक है, साथ ही फर्म के सभी डाक्यूमेन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा आधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित प्रति हस्ताक्षरित(Counter Signature) कर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

11– निविदा प्रस्तुत करने वाली गैर सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम सभी फर्म को निविदा की सभी शर्तों का शतप्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

12– आवेदनकर्ता फर्मों द्वारा व्यापार/वैट तथा सैन्ट्रल सेल्स टैक्स पंजीकरण का विवरण तकनीकी निविदा भाग–1 पर अंकित कर समस्त पंजीकरण प्रमाण–पत्रों का छायाप्रतियां निविदा के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

14– फर्म को पैन एवं टिन नं0 का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

15– निविदादाता द्वारा अपने निविदा के साथ जो भी प्रमाण पत्र आदि संलग्न किये जायेगें वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही संलग्न करना होगा, अन्य भाषाओं में संलग्न प्रमाण पत्र मान्य नही होगें।

16– प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु(कुटीर एवं खादी सहित) विनिर्माणक उद्यमों जो उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो को शासकीय कय मूल्य/कय वरीयता नियमानुसार दी जायेगी।

कमश–3

17– फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक विवाद का विवरण एवं फर्म को कभी ब्लैक(यदि किया गया हो, का विवरण) देते हुए शपथ पत्र रू0 100 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र को मूल रूप **में दिनांक 06.01.2017 के सायं 5:00 बजे तक व्यक्तिगत/डाक द्वारा निदेशालय उद्यान, उद्यान भवन चौबटिया में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**

18– निविदा के साथ विभाग द्वारा निर्धारित मानकों पर निर्मित कोरोगेटेड बॉक्स के एक सैम्पल के रूप में दिनांक 06.01.2017 को 05.00 बजे तक उपलब्ध कराने होगें, जिनका तकनीकी परीक्षण विभागीय गठित निविदा समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा पारदर्शिता की दृष्टि से इसकी रिपोर्ट तैयार करके वित्तीय प्रस्ताव के साथ सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

19– फर्म द्वारा कोरोगेटेड बॉक्स के उत्पादन करने का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, तथा पंजीकरण दिनांक 31.03.2016 से पूर्व का होना चाहिए।

20– निविदा समिति की संस्तुति के बाद किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक उद्यान का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायालय प्रधिकार क्षेत्र रानीखेत होगा।

21– जिस फर्म की दरें अनुमोदित की जायेगी, उन्हें एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित सामग्री के आपूर्ति हेतु सहमति पत्र भर कर निदेशक उद्यान, उद्यान भवन चौबटिया के कार्यालय में जमा करना होगा।

22– कोरोगेटेड बॉक्स की आपूर्ति उत्तराखण्ड के जनपद नैनीताल में होगी। अतः दरें सभी टैक्सों सहित एफ0ओ0आर0 भवाली (नैनीताल) अंकित की जाय।

23– डिजाइन एवं प्रिटिंग मेटर कोरोगेटेड बॉक्स के दो साईडों में विभाग का नाम एवं दो साईडों में फलों के चित्र तथा उत्तराखण्ड सरकार का लोगो अंकित किया जाना होगा।

ब) आपूर्ति की शर्तें

1– जिन निविदादाताओं की दरें स्वीकृत होगी, उन्हे क्रय किये जाने वाले सामग्री के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में टैण्डर स्वीकृति के 10 दिन के भीतर निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान भवन चौबटिया में जमा करनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर जमानत की धनराशि का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जमा न करने पर टैण्डर को निरस्त करते हुए अर्नेष्टमनी जब्त कर ली जायेगी।

2– आपूर्ति मॉग के अनुरूप आदेश के पश्चात् तुरन्त करनी होगी।

3– आपूर्ति की जाने वाली कोरोगेटेड बॉक्सों की अनुमानित मात्रा 5 प्रतिशत तक घट–बढ़ सकती है।

4– दरें स्वीकृत उपरान्त् 10 दिन के भीतर रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित नियमानुसार एग्रीमेन्ट बान्ड भरकर प्रस्तुत करना होगा।

5– नियमानुसार जमानत की धनराशिं संतोषजनक आपूर्ति एवं गुणवत्ता की सूचना प्राप्त होने पर वापस की जायेगी। संतोषजनक आख्या प्राप्त न होने एवं मांगानुसार आपूर्ति न किये जाने की दशा में सम्बन्धित संस्था की जमानत की धनराशि जब्त करके फर्म को काली सूची में डालने तथा अन्य आवश्यक एवं विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

कमश–4

6— भुगतान हेतु देयक क्रय अधिकारी को देना होगा।

7— आपूर्ति किये जाने वाले कोरोगेटेड बॉक्स के बाहरी सतह पर सफेद रंग का 300 GSM का डुपलेक्स पेपर लगाना होगा।

कृपया अन्य जानकारी के लिए www.uktenders.gov.in पर लागऑन करें।

Technical Specification for Corrugated Box

1	Dimension (In cm)	
a	Outer	41X25X20
b	No. of Plies	5
2	Description – a- Duplex 300 gsm hwc b- Fourply 180/22bf	
3	Bursting strength kg/sq cm for 2 pieces inner as well as outer taken together	16-18 (±5%)
4	Compression strength (in kg) of complete carton	450 (± 5%)
5	Moisture contents	8% to 10%
6	Copp value (30 Minutes)	Less than 170 gsm
7	Printing	Four color printing
8	Design and printing matter of box	Enclosed with tender's terms and condition's

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उत्तराखण्ड।